



भाकृअनुप - केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
पंच मार्ग, ऑफिस रोड, बर्मीबा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400061
दूरभाष: नंबर 022-26361446/7/8 फैक्स नंबर 022-26361573
वेब साइट: www.cife.edu.in



मिसिल संख्या: 24(24)/2015/Cash/Medical/2025/361

दिनांक : 24 जुलाई 2025

परिपत्र


भारत सरकार के चिकित्सा उपस्थिती नियम (Medical Attendance Rule) के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कक्ष में उपचार केवल 10 दिनों तक सीमित है, जिसमें अधिकतम 4 परामर्श और समान्यतः 10 इंजेक्शन शामिल है।

उपरोक्त के अनुसार समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी को अवगत किया जाता है कि अपना एवं परिवार का मेडिकल बिल (पुराने बिल) दिनांक 31.07.2025 तक जमा करने का कष्ट करें।

दिनांक 01 अगस्त 2025 से केवल 10 दिनों का उपचार बाह्य रोगी मेडिकल बिल चिकित्सा उपस्थिती नियम के अनुसार बिल अनुभाग में लिया जाएगा।

संस्थान के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी डॉ बबीता गोयल से अनुरोध है, कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी का उपचार हेतु उक्त नियम के अनुसार केवल 10 दिनों कि दवाई कि पर्ची लिखने का कष्ट करें।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया है।

भवदीय,

24/7/25
आहरण एवं संवितरण अधिकारी

वितरण:

1. निदेशक कार्यालय को सूचनार्थ हेतु।
2. संयुक्त निदेशक का कार्यालय को सूचनार्थ हेतु।
3. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, कें.मा.शि.सं., मुंबई एवं सभी केंद्र (कोलकाता, पावरखेड़ा, रोहतक, काकीनाड़ा, मोतीपुर) ईमेल द्वारा सूचनार्थ हेतु।
4. डा बबीता गोयल, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी, कें.मा.शि.सं., मुंबई